न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 256/2010 (उदयपुर डिक्री)

1. नारायणलाल पुत्र रूपा जी डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
2. भगा पुत्र रूपा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
3. उमाशंकर पुत्र रूपा जी डांगी, नि0 डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
4. माना पुत्र गला जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
5. भैरूलाल पुत्र पेमा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
6. बाबूलाल पुत्र पेमा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
7. गंगाराम पुत्र पेमा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
8. श्रीमती परताबाई पुत्री पेमा डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
9. शम्भूलाल पुत्र कन्हैयालाल जी डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा
10. गोपाललाल पुत्र कन्हैयालाल डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा
11. चन्द्रप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा
12. शिवलाल पुत्र दोला जी डांगी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

12/1. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. शिवलाल डांगी, नि. डांगियों की पंचोली

12/2. मुकेश पुत्र स्व. शिवलाल डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा

12/3. उषा पुत्री स्व. शिवलाल डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा

13. मोती पुत्र दोला जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
14. श्रीमती हंसा पत्नी दोला जी डांगी, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
15. कन्हैयालाल पुत्र कूका जी डांगी, नि0 डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
16. रामलाल पुत्र कूका जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
17. श्रीमती कुकीबाई विधवा कूका जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली
18. श्रीमती मनोहरीबाई पुत्री कूका जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गला पुत्र मेघा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
2. श्रीमती लेहरी विधवा हीरा जी भील एवं पुत्रवधु मोती पुत्र मेघा जी भील
3. शकु पुत्री हीरा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
4. कंकु पुत्री हीरा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

5. श्रीमती रतनी विधवा भेरा जी पुत्र मन्ना जी भील, नि. डांगियों की पंचोली
6. श्रीमती केशी विधवा मांगीलाल पुत्र भैरा पुत्र मन्ना, नि. डांगियों की पंचोली
7. कालु पुत्र मांगीलाल पुत्र भेरा जी पुत्र मन्ना जी, नि. डांगियों की पंचोली
8. भूरी पुत्री मांगीलाल पुत्र भेरा जी पुत्र मन्ना जी, नि. डांगियों की पंचोली
9. दला पुत्र वगता जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
10. खेमा पुत्र वगता जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
11. रोड़ा पुत्र मोड़ा जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

11/1. भेमा पुत्र रोड़ा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

11/2. गंगाबाई पुत्री रोड़ा जी भील, नि0 डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

12. श्रीमती नोजी पुत्री मोड़ा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
13. श्रीमती सोवनी विधवा देवा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तह. गिर्वा
14. मदन पुत्र देवा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
15. गणेश पुत्र देवा जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

15/1. श्रीमती नारायणी बाई पत्नी स्व. गणेश भील, नि. डांगियों की पंचोली

15/2. गंगाराम पुत्र स्व. गणेश भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

15/3. मुकेश पुत्र स्वर्गीय गणेश भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

16. तुलसीराम पुत्र जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

16/1. दीपा पुत्र स्व. तुलसीराम भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

16/2. महेन्द्र पुत्र स्व. तुलसीराम भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

16/3. श्रीमती हरकुबाई पत्नी स्व. तुलसीराम भील, नि0 डांगियों की पंचोली

17. लोगर पुत्र गुमाना जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

17/1. मोहन पुत्र स्व. लोगर जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

17/2. पुष्पा पुत्री स्व. लोगर जी भील, नि0 डांगियों की पंचोली, तह0 गिर्वा

18. दूदा पुत्र भानु पुत्र पेमा जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

18/1. लोकेश पुत्र दूदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

18/2. दिनेश पुत्र दूदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

18/3. कालीबाई पुत्री दूदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

18/4. रशोदाबाई पुत्री दूदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा

18/5. श्रीमती जमनीबाई पत्नी दूदा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली

19. उदा पुत्र भानु पुत्र पेमा जी भील (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि :–

19/1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी उदा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली

19/2. सुकलाल पुत्र उदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
19/3. सुरेश पुत्र उदा जी भील, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
19/4. लीलाबाई पुत्री उदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
19/5. कुसुमबाई पुत्री उदा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
20. दौला पुत्र भानु पुत्र पेमा जी भील, नि. डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
21. प्रभु पुत्र भानु पुत्र पेमा जी भील, नि0 डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा
सभी निवासीयान डांगियों की पंचोली, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
22. श्रीमती खेमणी (खमाणी) पुत्री देवा जी पुत्र रतना जी भील एवं पत्नी गंगा (गांगाजी), निवासी मठ मादड़ी, खेमपुरा, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 31.08.2010 प्र.सं. 108/06

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गणेशलाल नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित

———:::———

निर्णय **दिनांक 02–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डांगियों की पंचोली में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 1504, 1505, 1506 व 1507 स्थित है, जो वादीगण की संयुक्त खातेदारी की चाह नंबर 1106 व 1116 से सिंचित होती है। उक्त आराजीयात के साबिक आराजी नंबर 838, 839 व 840 हैं जिन्हें बावड़ावाल, अम्बावाड़ा व उपली भूमि के नाम से जाना जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि साबिक बन्दोबस्त से पूर्व संवत् 1944 के ज्येष्ठ माह की कृष्णा छठ गुरूवार को वादीगण के पूर्खा श्री नानजी वातड़ा डांगी ने 60 रूपये में रतना भील से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उस समय मेवाड़ रियासत में

पंजीयन कराने का कानून नहीं था। रतना भील माफीदार थे और मेवाड़ रियासत में तत्कालीन विधि अनुसार माफी के अधिकार विक्रय करने का निषेध था माफीदार केवल खड़म ही माफी की भूमि में विक्रय कर सकता था इसलिए रतना भील ने केवल खड़म ही विक्रय की थी। ग्राम डांगियों की पंचोली का प्रथम बन्दोबस्त संवत् 1985 से 1987 में हुआ। प्रथम बन्दोबस्त के समय रतना मर चुका था और नानजी जी वातड़ा भी मर चुके थे। रतना का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 7 अनुसार होकर उसके एक पुत्र देवा हुआ है देवा की पुत्री खेमणी (खमाणी) हुई, जो प्रतिवादी संख्या 21 है। नानजी डांगी के खानदान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 8 अनुसार होकर नानजी के 4 पुत्र पीथा, गोपा, भीमा व चोखा हुए। पीथा व गोपा लाऔलाद फोत हुए। चोखा भी मर गया जिसका पुत्र दला मौजूद था। इस कारण प्रथम बन्दोबस्त में साबिक आराजी नंबर 838, 839 व 840 के खड़मदार भीमा पिता नाना व दला पिता चोखा डांगी अंकित किये गये। जमाबन्दी में दला वल्द चोखा भील गलत अंकित किया गया है, इस नाम का कोई भी व्यक्ति वक्त सर्वेक्षण उक्त ग्राम में नहीं था। उक्त समय दला साबिक आराजी नंबर 838 व 840 दो खेतों पर काश्त करता था इसलिए उसका नाम दो बार लिख गया गया, परन्तु दूसरी बार दला की जाति भील अंकित कर दी गयी, जबकि वादीगण के पूर्खा दला वल्द चोखा डांगी व भीमा वल्द नानजी डांगी थे, जिन्होंने साबिक आराजी नंबर 838, 839 व 840 किसी को बिकाव नहीं किया तथा उनके वारिसान ने भी किसी को विक्रय नहीं किया। चूंकि चोखा का बड़ा लड़का दला था इसलिए जमाबन्दी में उसी का नाम लिखा गया, छोटा लड़का दीपा था जो जल्दी मर गया, परन्तु उसके एक पुत्र कूका था, जिन्होंने भी उक्त भूमियां किसी को विक्रय नहीं की। भीमा के दो पुत्र रूपा व गला हुए। गला के पुत्र माना हुआ व रूपा के तीन पुत्र नारायण, भगा व उमा हुए, उन्होंने भी उक्त साबिक आराजियात का किसी को भी विक्रय नहीं किया, फिर भी नवीन बन्दोबस्त की जमाबन्दी में उक्त साबिक नंबरो से बने हाल आराजी नंबर 1504 से 1507 के खातेदार प्रतिवादीगण को दर्ज कर दिया गया है, जो गलत होकर उक्त हाल आराजी नंबर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतएवं निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 20 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादीगण के नाम अंकित होकर वह वर्षो से खुदकाश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का आधिपत्य व कब्जा नहीं है। वादीगण ने जबरन कब्जा करने की नियम ने मिथ्या वाद पेश किया है। विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा विवादित आराजियात के खातेदार होकर काबिज हैं। वादीगण किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 13 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया ग्राम डांगियों की पंचालो में हाल आराजी नंबर 1504 से 1507 जिसके साबिक आराजी नंबर 838 से 840 क्रमशः बावड़ावाल, अम्बावाड़ा व उपली भूमि के नाम से हैं ? ..... वादीगण
2. आया तनिकयात नंबर 1 में वर्णित भूमि का स्वामी बहैसियत माफीदार श्री रतना भील से वादीगण के पूर्खा श्री नानजी वातड़ा ने बिल एवज 60 रूपया विक्रम संवत् 1944 के ज्येष्ठ माह की कृष्णा को खरीदकर कब्जा प्राप्त किये तब से वादीगण के उक्त पूर्खा से लेकर उसके उत्तराधिकारी बतौर मालिक खड़म काबिज हैं ? ..... वादीगण
3. आया विक्रम संवत् 1944 में मेवाड़ राज्य में स्टाम्प एक्ट एवं पंजीयन एक्ट अस्तित्व में नहीं था और विक्रय विलेख को स्टाम्प पर लिखकर पंजीबद्ध करना अनिवार्य नहीं था इसलिए तनकियात नंबर 1 में वर्णित आराजियात का विक्रय विलेख स्टाम्प में निष्पादित किया गया ? ..... वादीगण
4. आया मेवाड़ में माफी अधिकारी विक्रय योग्य नहीं थे केवल माफी की भूमि में खडमदारी अधिकार ही विक्रय योग्य थे ? ..... वादीगण
5. आया डांगियोां की पंचोली का प्रथम बन्दोबस्ती सर्वेक्षण विक्रम संवत् 1985 से 1987 में सम्पन्न हुआ और उस समय रतना भील व नानजी डांगी मर चुके थे इसलिए बन्दोबस्ती जमाबन्दी में रतना के पुत्र देवा को माफीदार अंकित किया गया था ? ..... वादीगण

6. आया ग्राम डांगियों की पंचोली प्रथम बन्दोबस्ती सर्वेक्षण के समय वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्खाओं श्री पीथा, भीमा, गोपा पुत्र नानजी डांगी व दला पुत्र चोखा, नानजी डांगी के कब्जे काश्त में थी इसलिए उन्हें खडमदार अंकित किया ? ..... वादीगण

7. आया रतना भील की खानदान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 7 एवं नानजी डांगी की खानदान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 8 के अनुसार है ? ..... वादीगण

8. आया प्रथम बन्दोबस्ती कर्मचारियों ने प्रथम बन्दोबस्ती जमाबन्दी में दला पिता चोखा डांगी की जाति भील गलत अंकित कर दी जब की प्रथम बन्दोबस्त के समय दला पिता चोखा नामक कोई भील डांगियों की पंचोली में नहीं था ? ..... वादीगण

9. आया नवीनीकृत बन्दोबस्त में वादीगण के पूर्खाओं श्री पीथा, गोपा, भीमा व दला के वारिसान वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण के कतिपाय पूर्खा श्री मोती, भेरा, देवा व भानु का नाम वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार बिना अधिकार गलत अंकित कर दिया ? ..... वादीगण

10. आया वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 8 में दर्शाये गये ढंग से वादग्रस्त जायदाद के सामन्यिक खातेदार हैं ? ..... वादीगण

11. वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

12. आया वादग्रस्त जायदाद अनुसूचित जनजाति के प्रतिवादी संख्या 1 से 20 के खातेदारी की अधिकार अभिलेख में अंकित है से वादीगण का वाद खारिज योग्य है ? ..... प्रतिवादीगण

13. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 31–08–2010 से वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–11–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

नकल मिलने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दौराने बहस कतिपय रेस्पोन्डेन्टगण की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकामात रेकार्ड पर लिये जाकर नोटिस जारी किये गये, जो बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मूल विवाद की प्रकृति को समझने में बुनियादी भूल की है। अपीलान्ट/वादीगण के भार सिद्ध 11 तनकियां थी, जिन्हें अपीलान्ट/वादीगण ने साक्ष्यो से साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें साबित कराया जाना नहीं मानकर वाद खारिज करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 11 का एक साथ निर्णय किया है, जबकि प्रत्येक तनकी का अलग–अलग विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। मेवाड़ राज्य के समय अनुसूचित जनजाति की भूमि कों सवर्ण जाति द्वारा खरीदने का पूर्ण अधिकार था, इसलिए उक्त विक्रय विधि द्वारा निषेध नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय विलेख अपंजीबद्ध एवं बिना स्टाम्प पर निष्पादित होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है, क्योंकि संवत् 1944 में रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में ही नहीं था। इस कारण उक्त विक्रय विलेख वैध था। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 12 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में यह तर्क देते हुए निर्णित कर दी कि प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तथा भूमियां उनके खातेदारी में दर्ज है, जो साक्ष्य विरोधी होकर हास्यास्पद है, क्योंकि संवत् 1944 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 प्रभाव में नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होकर त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकी संख्या 1 से 11 जो पृथक–पृथक बिन्दु पर अवलम्बित होकर पृथक–पृथक निर्णय किये जाने योग्य थी, उनका निर्णय एक साथ कर आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रकरण में विक्रय मूल्य

100/– रूपये से कम का होना सुस्पष्ट है एवं इस तथ्य के खण्डन में कुछ भी उपलब्ध नहीं था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र को अनस्टाम्प एवं अनरजिस्टर्ड होना मानकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि प्रकरण में विक्रय पत्र स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट से पूर्व का है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 11 तनकियों एक साथ निर्णय किया जाना अत्यन्त खेदजनक है, जबकि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपनी शहादत दी गयी है तो फिर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर प्लीडिंग्स व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यदि किसी प्रकार का संशय था तो इस बाबत् मौके की जांच किया जाना अपेक्षित था ताकि कब्जे बाबत् स्थिति स्पष्ट हो सके। विक्रय पत्र निष्पादन के समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू था अथवा नहीं, इन तथ्यों पर भी निर्णय किया जाना अपेक्षित था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाकर 11 तनकियों का एक साथ अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधि रूप से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर वांछित होने पर मौके की जांच करवाकर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04–09–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

सीताराम भाट पिता मोहनलाल जी भाट, निवासी सवीनाखेड़ा, मठ्ठमार्ग, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

गुसाई जी महाराज सवीनाखेड़ा, श्री गोपालानन्द गिरी गुरू स्व0 श्री शिवगिरीजी महाराज, सवीना मठ्ठ, तहसील गिर्वा व अन्य

अपील नं.....**117 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**11**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र देवपुरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुनील शर्मा**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।